अधिनियम में कानून के उल्लंघन के लिए शास्त्रियों का प्रावधान हैं । बाल श्रम से संबंधित कानूनों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के यहां एक प्रवर्तन तंत्र हैं । केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है । मृत बाल श्रमिकों के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

कानूनी उपायों के अलावा,जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना के माध्यम से उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना के अंतर्गत,अनौपचारिक शिक्षा,व्यवसायिक
प्रशिक्षण,पोषणाहार,छात्रवृत्ति,स्वास्थ्य देख-रेख आदि के उपबंधों के साथ विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी हैं । 1.5 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गयी हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में अनेक निदेश दिए हैं जिनमें जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी शामिल है । इन निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक कार्रवाईयां की हैं ।

Updating Labour Laws

715. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to update Labour laws; and

(b) if so, the steps taken in this regard to protect workers in the unorganised sector?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATTYA): (a) Review and updation of Labour Laws is a continuous process and amendments/ fresh legislation are made depending on the result of the review.

(b) A number of labour laws enacted for protection of workers' rights and for their welfare are also applicable to unorganised workers. Some of these laws are the Minimum Wages Act, 1948, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Beedi Workers* Welfare Fund Act, 1976 etc., Workers engaged in iron ore, manganese ore, chrome ore, limestone, dolomite and mica mines, cine industry are also covered by various Welfare Fund Acts.

The Central Government have also enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 to protect the interest of workers engaged in construction industry which constitutes the second largest activity, after agriculture. It is also the endeavour of the Government to provide welfare measrues and to extend legislative protection to more and more workers in the unorganised sector.

महाराष्ट्र तथा गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

716. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीया योजना के अंत तक महाराष्ट्र और गुजरात में बेरोजगार व्यक्तियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ग) क्या नौंवी पंचवर्षीया योजना के दौरान इन राज्यों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति अपनाई गई हैं;और

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम मंत्री (**डा.सत्यनारायण जटिया**): (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र एंव गुजरात में कार्यालय वार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर